

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल रायसेन (म0प्र0)

जिला एवं सत्र न्यायालय के सामने सांची रोड रायसेन (म.प्र.)

E-mail - dfot.rsn@mp.gov.in (Phone No. 07482 - 222027)

क्रमांक/माचि/ - 374
प्रति,

रायसेन, दिनांक 07/03/2024

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल।

विषय :- Proposal for Division of 6.930 ha Forest land for Constructions of Garhi-Ahmedpur Road Under ADB VI/VII Project of MPRDC PKG 4 Under Raisen Forest Division in Raisen District MP. - Reg.

संदर्भ :- संभागीय प्रबंधक एमपीआरडीसी भोपाल का ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक /FP/MP/ROAD/149386/2021 दिनांक 30.11.2022 एवं आपका पृ0 पत्र क्रमांक/ एफ-5/1294/2023/10-11/770 दिनांक 03.02.2024 एवं इस कार्यालय का पृ0 पत्र क्रमांक/माचि/333 दिनांक 14.02.2024 तथा संभागीय प्रबंधक एमपीआरडीसी भोपाल का पत्र क्रमांक/7571 दिनांक 27.02.2024

— 00 —

अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण के संबंध में आपके संदर्भित पृ0 पत्र द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/6-एम.पी.आर.036/2023-वीएचओ दिनांक 01.02.2024 में उल्लेखित 06 बिन्दुओं की जानकारी आवेदक विभाग से प्राप्त कर एकजाई जानकारी आपको प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

तदनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/माचि/332 दिनांक 14.02.2024 द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के द्वारा चाही गई 06 बिन्दुओं में से उनसे संबंधित जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु संभागीय प्रबंधक एमपीआरडीसी भोपाल को लेख किया गया।

तदुपरान्त उनके संदर्भित पत्र द्वारा उपरोक्त चाही गई 06 बिन्दुओं में से बिन्दु क्रमांक 3,4,5 एवं 6 की जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित की गई है तथा बिन्दु क्रमांक-01 एवं 02 की जानकारी वन मण्डल से संबंधित होने के फलस्वरूप इस कार्यालय द्वारा तैयार की गई है जो कि संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

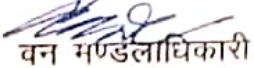

वन मण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल रायसेन
रायसेन, दिनांक 07/03/2024

पृ0क्रमांक/माचि/ - 375
प्रतिलिपि :-

1 वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल की ओर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के आपको पृष्ठांकित पत्र क्रमांक/एफ-5/1294/2023/10-11/771 दिनांक 03.02.2024 एवं इस कार्यालय के पृ0 पत्र क्रमांक/माचि/333 दिनांक 14.02.2024 के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।

2 संभागीय प्रबंधक एमपीआरडीसी भोपाल की ओर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/माचि/332 दिनांक 14.02.2024 एवं उनके पत्र क्रमांक/7571 दिनांक 27.02.2024 के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।


वन मण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल रायसेन

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल रायसेन (म0प्र0)

जिला एवं सत्र न्यायालय के सामने सांची रोड रायसेन (म.प्र.)

E-mail - dfot.rsn@mp.gov.in (Phone No. 07482 - 222027)

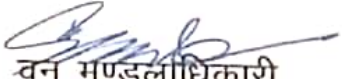
उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गढ़ी-अहमदपुर मार्ग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्राप्त प्रस्ताव मे 6.930 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन के विरुद्ध ग्राम घूरपुर तहसील सिलवानी जिला रायसेन स्थित भूमि खसरा क्रमांक 125 मे रकबा 4.380 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 126 मे रकबा 9.480 हेक्टेयर कुल 13.860 हेक्टेयर छोटे बड़े झाड़ जंगल मद की भूमि आवंटन का आदेश कलेक्टर जिला रायसेन द्वारा पारित किया गया है। उपरोक्त तारतम्य मे इस कार्यालय द्वारा गढ़ी-अहमदपुर मार्ग हेतु दुगनी 13.860 हेक्टेयर गैर वनभूमि (छोटे बड़े झाड़ जंगल मद) मे 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार की जाकर वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई है।

उपरोक्त प्राप्त ग्राम घूरपुर तहसील सिलवानी जिला रायसेन स्थित भूमि खसरा क्रमांक 125 मे रकबा 4.380 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 126 मे रकबा 9.480 हेक्टेयर कुल 13.860 हेक्टेयर छोटे बड़े झाड़ जंगल मद की भूमि का स्थल निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया जिसमें पाया कि उपरोक्त सम्पूर्ण क्षेत्र मे औसतन 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाये जा सकते हैं।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
पूर्व सिलवानी


उप वन मण्डलाधिकारी
सिलवानी


वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल रायसेन

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल रायसेन (म0प्र0)

जिला एवं सत्र न्यायालय के सामने सांची रोड रायसेन (म.प्र.)

E-mail - dfot.rsn@mp.gov.in (Phone No. 07482 - 222027)

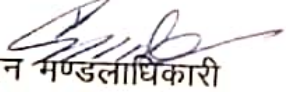
बिन्दु क्रमांक-1

Clarification-Certificate

कलेक्टर जिला रायसेन द्वारा 02 मार्ग (गढ़ी-अहमदपुर एवं वेगमगंज सुल्तानगंज मार्ग) निर्माण हेतु व्यपवर्तित वनभूमि के विरुद्ध ग्राम घूरपुर तहसील सिलवानी जिला रायसेन स्थित भूमि खसरा क्रमांक 125 में रकबा 8.500 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 126 में रकबा 9.480 हेक्टेयर कुल 17.980 हेक्टेयर छोटे बड़े झाड़ मद की भूमि उपलब्ध कराई गई है जिसमें से गढ़ी-अहमदपुर मार्ग प्रभावित वनभूमि 6.930 हेक्टेयर के विरुद्ध खसरा क्रमांक 125 में से रकबा 4.380 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 126 में से रकबा 9.480 हेक्टेयर कुल 13.860 हेक्टेयर गैर वनभूमि (छोटे बड़े झाड़ जंगल मद) एवं वेगमगंज-सुल्तानगंज मार्ग में प्रभावित वनभूमि 2.060 हेक्टेयर के विरुद्ध खसरा क्रमांक 125 में से रकबा 4.120 हेक्टेयर गैर वनभूमि (छोटे बड़े झाड़ जंगल मद) कुल 17.980 हेक्टेयर गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गई है। आवेदक विभाग द्वारा उपरोक्त 02 मार्गों में उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि की एकजारी के.एम.एल फाईल पूर्व में ऑनलाईन भाग-1 में अपलोड कर दी गई थी जिस पर इस कार्यालय द्वारा आपत्ति लिये जाने पर आवेदक विभाग द्वारा गढ़ी-अहमदपुर मार्ग में प्रभावित वनभूमि के विरुद्ध प्राप्त 13.860 हेक्टेयर गैर वनभूमि (छोटे बड़े झाड़ जंगल मद) के.एम.एल फाईल में आवश्यक संशोधन कर संशोधित के.एम.एल फाईल ऑनलाईन भाग-1 में बिन्दु क्रमांक-L (IV) C में अपलोड कर दी गई है।

प्रकरण के संबंध में कुल 6.930 हेक्टेयर वनभूमि गढ़ी-अहमदपुर मार्ग में प्रभावित होना प्रस्तावित है जिसके विरुद्ध ग्राम घूरपुर तहसील सिलवानी जिला रायसेन स्थित भूमि खसरा क्रमांक 125 में से रकबा 4.380 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 126 में से रकबा 9.480 हेक्टेयर कुल 13.860 हेक्टेयर छोटे बड़े झाड़ मद की भूमि का स्थल निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया जिसमें पाया कि उपरोक्त सम्पूर्ण क्षेत्र में औसतन 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाये जा सकते हैं।


उप वन मण्डलाधिकारी
सिलवानी


वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल रायसेन